

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.)302005

क्रमांक :-प.23 (12) परि/प्र.नि./वर्धमान कौशिक/2017/425(PC) जयपुर, दिनांक 09/01/2021

संशोधन आदेश

कोविड-19 के कारण लॉकडाउन काल में कार्यालय बंद रहने के कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.23(23)परि/प्र.नि./वर्धमान कौशिक/2017/1560 दिनांक 22.01.2018 तथा क्रमांक प.23(23)परि/प्र.नि./NGT/2017/6191 कार्यालय आदेश 13/2020 दिनांक 19.03.2020 के क्रम में NCR में संचालित डीजल वाहन जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तथा पेट्रोल वाहन जिनको 15 वर्ष पूर्ण हो गये हैं, इन वाहनों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.23 (23) परि/प्र.नि./वर्धमान कौशिक/2017/20684 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए NOC जारी करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

इसी प्रकार राज्य के Non Attainment Cities में संचालित डीजल व्यावसायिक वाहन जिनको 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, को भी दिनांक 31.12.2020 तक राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए NOC जारी करने हेतु उक्त आदेश तहत निर्देश दिये गये थे।

कोविड-19 महामारी के कारण कार्यालयों तथा आमजन को हो रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.12.2020 के द्वारा मोटरवाहन अधिनियम-1988 तथा नियम-1989 में वाहनों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की वैधता 01.02.2020 से 31.03.2021 तक के दौरान समाप्त होने पर प्रवर्तन स्टाफ को उन्हे वैध मानने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के उक्त आदेशों के तहत दिनांक 31.03.2021 तक आवश्यक रूप से उक्त सभी प्रकार के वाहनों की राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए NOC जारी किया जाना सुनिश्चित करें तथा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि जैन)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक :-प.23 (12) परि/प्र.नि./वर्धमान कौशिक/2017/426-432 जयपुर, दिनांक 09/01/2021
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग।
3. निजी सचिव, श्रीमान् परिवहन आयुक्त।
4. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त.....।
5. सयुक्त परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त।
6. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव